न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 22/2021

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. महेन्द्रसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. शैतानसिंह पुत्र गणपतसिंह 2. पृथ्वी सिंह पुत्र गणपतसिंह 3. भंवर कंवर उर्फ चन्द्रकांता पत्नि विजयसिंह 4. प्रवीणसिंह उर्फ प्रणवीर सिंह पुत्र आनन्दसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 5. दीपकसिंह 6. किशनसिंह पिसरान शिवजी जातिगण राजपूत निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान। 7. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर0टी0एक्ट0 1955
प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 1908

उपस्थिति :—

1. श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 19/06/2025

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा उपरोक्त अज्ञवान प्रकरण का वाद गलत, मिथ्या, निराधार तथ्यों के आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादपत्र के पद संख्या 2 में वादस्थ कृषि भूमि उल्लेखित की है, जिसमें खसरा नंबर 1023, 1024, 1027, 1030, 1032, 1200, 1002, 1016, 1016/1, 1017, 1020 से 1022, 1161, 1163, 1165, 1169, 1019, 1171, 1175, 1176, 1192 से 1196, 1198 व 1199 उल्लेखित की है, स्व भागुसिंह की जो भी स्वअर्जित सम्पति थी, जिसका उपयोग उपभोग अन्तरण इत्यादि करने का सम्पूर्ण अधिकार स्वर्गीय भागुसिंह को प्राप्त था, स्व. भागुसिंह के चार जायन्दा पुत्र थे, जो क्रमशः जेठुसिंह, आनन्द, गणपतसिंह, शिवसिंह थे, वादी जेठुसिंह का पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गणपतसिंह के पुत्र है, प्रतिवादी संख्या 4 आनन्दसिंह के पुत्र है, व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 शिवसिंहजी के पुत्र है, स्वर्गीय भागुसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि का व्यवस्थापन कर भूमि अपने पुत्रों व पौत्रो को जरिये रजिस्टर्ड बक्सीस के सुपुर्द कर दी थी तथा उनके जीवनकाल में ही स्वर्गीय भागुसिंह के पुत्र व पौत्र रजिस्टर्ड बक्सीसनामा के आधार पर अपने अपने भू—भाग पर काबिज होकर उपयोग उपभोग निरन्तर बिना किसी बाधा के खुलम खुला सारस्वत रूप से उनके जीवनकाल से करते आ रहे है। स्वर्गीय भागुसिंह द्वारा दिनांक 17/03/1954 को आनन्दसिंह, शैतानसिंह व पृथ्वीसिंह, जेठुसिंह, शिवसिंह के पक्ष में अलग अलग बक्सीसनामा रजिस्टर्ड करवा कर अपनी खातेदारी भूमि सुपुर्द कर दी, स्वर्गीय भागुसिंह के जीवनकाल से वादी के पिता जेठुसिंह द्वारा बक्सीस में प्राप्त अपने हक हिस्से की सम्पति का उपयोग उपभोग निरन्तर बहैसियत खातेदार के करते आये, वादी के पिता एवं वादी ने उक्त बक्सीस में प्राप्त अपनी सम्पति में से कुछ सम्पतियां विक्रय भी कर दी। वादी द्वारा भागुसिंह एवं जेठुसिंह की मृत्यु के पश्चात अब गलत, झूठे एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, वादी के पिता स्वर्गीय जेठुसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में भागुसिंह की सम्पतियों बाबत किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

का कोई वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा न्यायालय से घोषणा, बंटवाड़ा, निषेधाज्ञा की रिलिफ चाही है, जबकि वाद में जो वादस्थ सम्पति उल्लेखित कर रखी है, उक्त सम्पति वादी के दादा स्वर्गीय भागुसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने अन्य पुत्र व पौत्रो को जरिये रजिस्टर्ड बक्सीसनामा सुपुर्द कर दी थी, उस वक्त के पश्चात से आज दिनांक तक उपरोक्त आराजीयात भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि नहीं है, वादी द्वारा आज दिनांक तक रजिस्टर्ड बक्सीसनामा को किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है, जब तक उक्त रजिस्टर्ड बक्सीसनामा अस्तित्व में है, तब तक वादी किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पंजीबद्ध बक्सीसनामा दस्तावेज को निरस्त करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय उक्त बक्सीसनामा दस्तावेज को निरस्त नहीं कर सकती है, वादी द्वारा अपने वादपत्र में जानबूझकर भागुसिंह द्वारा बक्सीस करने की बात को छुपाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर वाद प्रस्तुत किया है व स्वयं को प्राप्त बक्सीस को भी छुपाया है। वादी बक्सीसनामा अस्तित्व में रहते हुए किसी प्रकार की रिलीफ न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकता है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रथम दृष्टया काबिले खारिज के है। वादी द्वारा संयुक्त हक हकूक खातेदारी की भूमि नहीं होने के उपरान्त भी गलत व मिथ्या तथ्य उल्लेखित कर वादस्थ भूमि को संयुक्त भूमि दर्शाकर वाद प्रस्तुत किया है, वादी द्वारा कब्जे का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, जबकि वादस्थ भूमि में बक्सीसनामा से प्राप्त सम्पतियों पर सभी पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है, कब्जे के अभाव में वादी किसी प्रकार की घोषणा व निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, वादी का वाद काबिले खारिज के होने से प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादस्थ कृषि भूमि स्व0 भागूसिंह की खातेदारी होना स्वीकार करते हैं। वादी द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 18.01.2021 को वाद प्रस्तुत किया जिसका जवाब दावा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जाकर मात्र काल्पनिक बख्शीशनामा का आधार लेकर यह आवेदन किया है, जो मात्र वाद को लम्बा करना हैं। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में मात्र वादी के वाद में वर्णित अभिकथनों पर ही विचार किया जाता हैं। सम्पूर्ण वाद में स्व0 भागूसिंह द्वारा अपने जीवन काल में वादस्थ भूमि का अपने पुत्र–पौत्र के पक्ष में बख्शीशनामा था, कोई जिक्र नहीं है, न ही भागूसिंह द्वारा किसी प्रकार का बख्शीशनामा निष्पादित किया गया न इसकी जानकारी वादी को हैं। वादी का किसी बख्शीशनामा को वैध/अवैध घोषित करने के पक्ष में भी नहीं है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा बख्शीशनामा बता रहे है, जो इसके जवाब दावा में उज्र के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उल्लेखित दिनांक 17.03.1954 की वादी को कतई जानकारी नहीं हैं। सन् 1954 को वादी की आयु मात्र 5–7 वर्ष थी। उसके कब्जे अथवा जानकारी में किसी बख्शीशनामा के अस्तित्व में होने की नहीं हैं। प्रतिवादीगण जवाब दावा के साथ पेश करें। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में वर्णित किसी भी आवश्यक तत्वों से संबंधित वाद नहीं है, वादी के वाद में ऐसा कोई अभिकथन या अनुतोष नहीं है जो माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में न हो। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 बिनाय दावा के अभाव अपर्याप्त स्टाम्प, म्याद बाहर अथवा वाद के कथनानुसार वाद कानूनी रूप से अमान्य होने की स्थिति में ही लागू होता है। किसी बख्शीशनामा को वैध व अवैध घोषित करने का अनुतोष या आधार वाद में ही नहीं है। फिर किस आधार पर वाद खारिज किया जायेगा। प्रतिवादीगण का आवेदन आधारहीन मय खर्चा खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी ने दौराने मौखिक बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा वादपत्र में जो तथ्य किए वे गलत अंकित किये है। वादी द्वारा वादपत्र में स्वीकार किया है कि वादस्थ भूमि भागुसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी तथा उनकी मृत्यु हो जाने से वादी व प्रतिवादी वंश सृजरा में उत्तराधिकारी होने से भागुसिंह मृत्यु पश्चात

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उनके चल अचल सम्पति/वादस्थ वादी व प्रतिवादी में बहिस्सा बराबर बराबर निहित हुई। जबकि स्व. भागूसिंह ने अपने जीवन काल में ही वादस्थ भूमि में अपना पूर्ण हक हिस्सा वादी के पिता जेठूसिंह व अपने अन्य सभी पुत्रो को वर्ष 1954 में रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के जरिए अन्तरीत कर दीं। जिससे उक्त रजिस्टर्ड बक्शीश नामो के आधार पर स्व० भागूसिंह के जीवन काल में ही सभी वारिसान उत्तराधिकारीगण बक्शीश अनुसार भूमि पर काबिज बतौर स्वामी काबिज हो गए। स्वं भागूसिंह की मृत्यु के समय वादस्थ भूमि उनके खातेदारी की नहीं रही तो वादी किस भूमि को पैतृक बनाकर दावा पेश किया है। वादी द्वारा वादस्य भूमि पैतृक होने व स्व० भगुसिह जी के स्वर्गवास के समय वादस्थ भूमि निर्वसीयती व अन्तरण नहीं किए जाने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज करने का निवेदन किया।

वकील वादी द्वारा दौराने मौखिक बहस जवाब प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भागूसिंह की जायदाद का पारिवारिक बंटवाड़ा 1962 में हुआ उक्त बंटवाड़े के आधार पर वाद पेश किया है। पारिवारिक बंटवाड़ा रजिस्टर्ड नहीं होने से वादी का हिस्सा जबरन हकत्याग किया गया। प्रार्थना पत्र गलत आधार पर पेश किया जो खारिज किया जाऐ। प्रतिवादी जवाबदावा पेश करें। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

दोनो पक्षकारानों की बहस सुनी गई। वादपत्र, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विधि का ससम्मान अवलोकन किया। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाड़ा व निषेधाज्ञा का पेश किया है। वाद के पैरा सं0 2 में वादी द्वारा वादस्थ भूमि 433 बीघा उल्लेखित कर भूमि को पैतृक संयुक्त खातेदारी हकूक व कब्जा काश्त की होना वर्णित किया है तथा विवादित कृषि भूमि में वादी का हक हिस्सा भागूसिंह के स्वर्गवास पश्चात् बहैसियत खातेदार काश्तकार के चला आ रही है भी वर्णित किया है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करे तो वादस्थ भूमि किसी भी दस्तावेज से पैतृक संयुक्त खातेदारी हकूक की होना प्रमाणित नहीं होता है। स्व0 भागूसिंह के जीवनकाल में ही उनके द्वारा किये गये बक्शीशनामा के आधार पर वादी के पिता व प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज हो चुका था तथा वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् स्वयं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि वादी को उपरोक्त भूमि के संबंध में बक्शीशनामा की जानकारी नहीं रही हो। वादी द्वारा जानबूझकर प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत स्व0 भागूसिंह द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पति को अपने जीवनकाल में की गई पंजीबद्ध बख्शीशनामा दस्तावेजों को छिपाते हुये वाद पेश किया है। जबकि वादी के पिता जेठूसिंह को भी स्व0 भागूसिंह द्वारा सोजत चक नं0 2 के ख0नं0 1201 व 1202 रकबा 111 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बक्शीशनामा दिनांक 17.03.1954 को निष्पादित कर दी गई। जिस भूमि में वादी के पिता व उनके बाद वादी का नाम खातेदारी में दर्जसुदा है तथा उसी रोज स्व0 भागूसिंह द्वारा शैतानसिंह, पृथ्वीसिंह व आनन्दसिंह तथा शिवसिंह के पक्ष में भी पंजीबद्ध बक्शीशनामा निष्पादित कर अपनी भूमि अन्तरित कर दी थी। ऐसी स्थिति में स्व0 भागूसिंह के स्वर्गवास के समय वादस्थ भूमि का कोई भी हिस्सा उनके खातेदारी की शेष नहीं रही अर्थात् प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में जो भूमि दर्जसुदा है, वह स्व0 भागुसिंह के द्वारा किये गए बक्शीशनामा के आधार पर दर्जसुदा हैं। जो बक्शीशनामा के आधार पर प्राप्त होने से उक्त भूमि वादी की पैतृक होना विधिसम्मत नहीं हैं तथा प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज को उक्त भूमि बक्शीशनामा के जरिये प्राप्त होना व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हैं। वादी द्वारा स्व0 भागुसिंह द्वारा किये गये उक्त बक्शीशनामा दस्तावेजात की जानकारी नहीं होना बताया हैं तथा एक तरफ वादपत्र में उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना वर्णित किया हैं तो वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड के संबंध में इन्द्राज हो जाने व बक्शीशनामें की जानकारी नहीं होने के कथन भी मानने योग्य नहीं हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज के पक्ष में निष्पादित बक्शीशनामा जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसकों वादी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेंज कर निरस्त हेतु कोई कार्यवाही नहीं की हैं।

उपखण्ड अधिकारी,

वादी द्वारा वर्ष 2021 में वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि वर्ष 2021 से 67 वर्ष पूर्व ही वादस्थ भूमि रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के आधार पर अन्तरीत हो चुकी थी तथा वादी स्वयं भी राजस्व रेकर्ड में आज भी उसी बक्शीशनामा से प्राप्त सम्पति का खातेदार हैं तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण को पंजीवद्ध बक्शीशनामा से प्राप्त होकर खातेदारी प्राप्त हुई हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पंजीवद्ध बक्शीशनामा के शून्य या शून्यकरणीय के संबंध में कोई अभिवचन नहीं हैं तथा जबतक पंजीवद्ध बक्शीशनामा दस्तावेज वैध रूप से अस्तित्व में है तो वादी घोषणा, बंटवाड़ा व निषेधाज्ञा इस न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकता हैं।

विधि पर गौर करे तो अचल सम्पति जिसके संबंध में रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित सुदा है। जिसके संबंध में वादी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में निरस्त हेतु कोई चाराजोही नहीं की है तथा स्पेशिक रिलिफ एक्ट के तहत किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने की आधिकारिता सिविल न्यायालय को हैं न कि राजस्व न्यायालय को। जिससे वादी द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बक्शीशनामा अस्तित्व में होने से तथा उसको सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बगैर वादस्थ भूमि के संबंध में प्रस्तुत उक्त घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार के अभाव में व विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होता हैं

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में व विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 की परिधि में आता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: आदेश ::—

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)